( राजस्थान–सरकार )

# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 65 / 2015**

**बउनवान**

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, बाराँ जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारॉ

(सायल)

**बनाम**

फरीद पुत्र अब्दुल कदीर जाति मुसलमान निवासी श्रमिक कॉलोनी, बाराँ

(गैरसायल)

**इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3**

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)

2– श्री प्रियदर्शन शर्मा अभिभाषक (गैरसायल)

**निर्णय दिनांक 09.03.2021**

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल फरीद पुत्र अब्दुल कदीर जाति मुसलमान निवासी श्रमिक कॉलोनी, जिला बाराँ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बाराँ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, बारॉ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कोतवाली, बारॉ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ–सट्टा, अवैध आर्म्स तस्करी, गंभीर मारपीट एवं मादक पदार्थों की तस्करी जैसी अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली, बारॉ में वर्ष 2000 से 2013 तक की अवधि में कुल 11 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(04), भादस(02), आर्म्स एक्ट(01), एनडीपीएस एक्ट(03) तथा भा.वि. एक्ट(01) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से कुल 09 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी दिनों–दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढ़ती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में [illegible] बढ़ता जा रहा हैं। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं [illegible] है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते हैं। इसकी आपरा[illegible] गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का [illegible] जनहित में [illegible] प्रतीत नहीं है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को [illegible] इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस व्यक्ति के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर, इस जिले के सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 15:26:24 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावें। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 01.10.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सहमति पत्र के माध्यम से जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु निवेदन किये जाने पर, प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

**दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि** गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली, बारॉ में वर्ष 2000 से 2013 तक की अवधि में कुल 11 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(04), भादस(02), आर्म्स एक्ट(01), एनडीपीएस एक्ट(03) तथा भा.वि. एक्ट(01) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से कुल 09 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांति एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसों की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती हैं। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावें।

**इसके विपरीत गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक** उपस्थित होकर जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति [illegible] मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूॅ। मेरे तारीख पेशी पर आने से उस दिन की [illegible] भी छूट जाती है। अतः मैं स्वंय की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला बदर के स्थान पर थाना बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूॅ। मेरे विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली, बारां द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर मुझे थाना बदर में पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारॉ किया जाकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया जावें। जिसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 16:26:24 IST
Reason: SelfAttested

**मेरे द्वारा अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक** की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली, बारॉ में वर्ष 2000 से 2013 तक की अवधि में कुल 11 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(04), भादस(02), आर्म्स एक्ट(01), एनडीपीएस एक्ट(03) तथा भा.वि. एक्ट(01) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से कुल 09 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि फरीद पुत्र अब्दुल कदीर जाति मुसलमान निवासी श्रमिक कॉलोनी, जिला बाराँ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2(आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है, क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः फरीद पुत्र अब्दुल कदीर जाति मुसलमान निवासी श्रमिक कॉलोनी, जिला बाराँ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली, बारॉ से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल फरीद पुत्र अब्दुल कदीर जाति मुसलमान निवासी श्रमिक कॉलोनी, जिला बाराँ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना कोतवाली, बारॉ क्षेत्र से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारॉ को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा, जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/– रूपये का स्वंय का मुचलका इस अवधि में नेकचलन रहने के संबंध में पेश करेगा।

गैरसालय के विरूद्व यह आदेश दिनांक 24.03.2021 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारॉ को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना कोतवाली बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारॉ के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे द्वारा खुले इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 15:26:24 IST
Reason: SelfAttested

( मोहम्मद अबूबक्र )
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ